अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपील वाद संख्या–02/2020
अबुल अंसारी वगै0 बनाम् बढ़न बेदिया एवं राज्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

प्रस्तुत अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद सं0–23/2016 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। जिसे अंगीकृत कर संबंधित पक्षों को नोटिस करते हुए वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई।

प्रथम पक्ष अपीलार्थी को पुकार करने पर अनुपस्थित पाए गए। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा विषयगत वाद में अभिरूची नहीं ली जा रही है। अतः प्रथम पक्ष द्वारा सपर्तित अपील आवेदन का विवेचन किया गया। जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–चिकोर, खाता सं0–19, प्लॉट सं0–35, रकवा–2.21 एकड़, मध्ये रकवा–0.50 एकड़ भूमि के खतियानी रैयत जगलाल महतो, आदिवासी खाते की भूमि है। प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के पिता करामत अली वल्द नियाज अली साकिन चिकोर को दिनांक 15.07.1967 ई० को 240/– रू० नकद बैल लेने के लिए भुगतान कर के खरीद कर हासिल किये हैं और जुगल महतो से शांतिपूर्ण दखल–कब्जा प्राप्त कर दखलकार होकर चले आ रहे हैं। इस तरह विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि से वर्ष 1967 ई० से ही बेदखल है। प्रश्नगत भूमि के बावत प्रथम पक्ष के पिता करामत अली के द्वारा एक स्वत्व वाद खतियानी रैयत के वंशज जुगल महतो के विरूद्ध न्यायालय मुंशफ, हजारीबाग में दायर किये थे, जिसका वाद सं0–887/1968 है। यह स्वत्व बाद उभय पक्षों के द्वारा सुलहनामा के आधार पर वादी करामत अली (प्रथम पक्ष के पिता) के पक्ष में डिक्री का निष्पादन किया गया है। न्यायालय के आदेश से डिक्री के अनुसार प्रश्नगत भूमि खाता सं०–19, प्लॉट सं०–35 रकबा–0.35 एकड़ का जमाबंदी प्रथम पक्ष के पिता करामत अली के नाम से कायम हुआ, जो पंजी–2 के पेज सं0–108 भौल्युम सं०–4 में दर्ज है एवं प्रथम पक्ष मालगुजारी भुगतान कर अद्यतन वर्ष 2016–17 तक सरकारी रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। प्रथम पक्ष के पिता करामत अली वर्ष–1991 ई0 में खतियानी रैयत के हिस्सेदार नागेश्वर बेदिया पिता जुगल बेदिया वगै० के विरूद्ध परिवाद वाद दायर किये थे, जिसका परिवाद वाद सं० 267/1991 है। यह परिवाद वाद इसलिए दायर किया गया था कि प्रथम पक्ष के भूमि पर द्वितीय पक्ष कब्जा करने को लेकर विवाद करते थे। इस तथ्य से स्पष्ट है कि विपक्षी प्रश्नगत भूमि पर से लगभग 49–50 वर्षों से बेदखल है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4(ए) प्रभावी नहीं है एवं यह कार्यवाही कालबाधित है। अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के पारा–8 कॉलम में प्रथम पक्ष के 0.35 एकड़ दखल–कब्जा वाले भूमि के अलावे शेष भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा में है एवं खेती करते हैं, दर्शाया गया है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि द्वितीय पक्ष को खतियानी रैयतों के बीच बंटवारा से प्राप्त भूमि आज भी उनके दखल कब्जा में

है। मौजा चिकोर के खाता सं0 19 प्लॉट सं० 35 रकबा 0.35 एकड़ भूमि पर प्रथम पक्ष एवं प्रथम पक्ष के पूर्वज सन् 1968 से जमीन पर दखलकार होकर चले आ रहे हैं एवं वर्त्तमान समय में भी जमीन पर दखलकार होकर खेती–बाड़ी करते चले आ रहे हैं तथा पंजी–2 के पेज सं0–108 भौलुम सं०–4 के खाता सं०–19 प्लॉट सं0–35 रकबा–0.35 एकड भूमि प्रथम पक्ष के पिता–करामत अली के नाम से जमाबंदी कायम है एवं प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष को टाईटल सूट सं०–887/68 के द्वारा न्यायालय मुंशिफ, हजारीबाग से सुलहनामा पत्र के आधार पर डिक्री से प्राप्त है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी ग्राम–चिकोर थाना सं०–52 अंचल–पतरातू जिला रामगढ़ का आदिवासी खतियानी रैयत है। पिछले भू–कर निर्धारण सर्वे में खाता सं०–19 का खतियान जंगलाल महतो वल्द टेका महतो अंश एक हिस्सा वो नंदु महतो वो कोका महतो वो बलकाहा महतो तीनों पेशरान रंगलाल महतो अंश एक हिस्सा कौम बेदिया के नाम से दर्ज है। ग्राम चिकोर थाना सं०–52, थाना पतरातू के खाता सं०–19 के संपूर्ण भूमि पर खतियानी रैयत दखलकार थे। खतियानी रैयत के मृत्यु के पश्चात् उनके वंशज संपूर्ण खतियानी भूमि पर दखलकार रहते हुए जोत आबाद कर कृषि कार्य किये ग्राम चिकोर थाना सं0–52 थाना पतरातू के खाता सं0–19 प्लॉट सं०–35 कुल रकबा–2.21 एकड़ है। इसमें विपक्षी का हिस्सा 0.50 एकड़ भूमि है। जिस पर विपक्षी दखलकार हैं। विपक्षी ग्राम चिकोर थाना सं0–52 थाना पतरातू के खाता सं०–19 प्लॉट सं०–35 मध्ये रकबा–0.50 एकड़ भूमि किसी भी व्यक्ति के पास न तो बिक्री किये हैं ना ही रेहन वो० रखे हैं। आवेदकगण जाली कागजात के आधार पर विपक्षी को ग्राम चिकोर थाना सं0–52 थाना पतरातू जिला रामगढ़ के खाता सं०–19 प्लॉट सं०–35 रकबा–0.50 एकड़ भूमि पर जबरन लगभग 08 (आठ) वर्षों से बेदखल कर दिये हैं। अतः उन्होंने प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण को वापस कराने हेतु अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4(ए) के प्रावधानों के तहत् उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को वापस किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, पतरातू ने पत्रांक–1395, दिनांक–27.07.2017 प्रतिवेदित किया है कि ग्राम–चिकोर के खाता सं0–19 रैयती आदिवासी खाते की भूमि है। सर्वे खतियान के अनुसार खाता सं0–19 प्लॉट सं०–35 रकबा 2.21 एकड़ मध्ये 0.50 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष के परदादा जयलाल महतो वगै०, कौम बेदिया के नाम से दर्ज है। हाल पंजी–II के पेज सं0–76/IV पर खाता सं०–19, रकबा–51.00 1/4 एकड़ भूमि का जमाबंदी हरदेयाल महतो के नाम से कायम है। द्वितीय पक्ष का खतियानी रैयती भूमि

है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया। न्यायालय मुंसिफ हजारीबाग के टाईटल सूट सं०–887/68 के द्वारा सुलहनामा पत्र के आधार पर खाता सं0–19, प्लॉट सं०–35 रकबा–0.35 एकड़ भूमि का डिक्री का अंश प्राप्त है। हाल पंजी–II के पेज सं0–108/IV पर खाता सं0–19 रकबा–0.35 एकड़ भूमि का जमाबंदी करामत अली के नाम से कायम है। उक्त भूमि प्लॉट मध्ये रकबा–0.35 एकड़ पर प्रथम पक्ष खेती करते हैं ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेखित किया गया है कि मौजा चिकोर के खाता सं0–19 रैयती आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, पतरातू के अनुसार सर्वे खतियान में द्वितीय पक्ष के परदादा जयलाल महतो वगै० कौम बेदिया नाम से दर्ज है। हाल पंजी–II के पेज नं०–76/IV पर खाता नं0–19 रकबा–51.00 1/4 एकड़ भूमि की जमाबंदी हरदेयाल महतो के नाम कायम है। द्वितीय पक्ष का दावा खतियान है। प्रथम पक्ष का सादा एकरारनामा एवं T-S No.–887/68 के द्वारा न्यायालय मुन्सिफ, हजारीबाग से सुलहनामा पत्र आधार पर रकबा 0.35 एकड़ भूमि डिक्री से प्राप्त है। अंचल अधिकारी, पतरातू के अनुसार दोनों पक्षों की जमाबंदी कायम है एवं द्वितीय पक्ष को वर्ष–1968 से रकबा 0.35 एकड़ भूमि पर दखल–कब्जा भी है। यानि प्रथम पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर लम्बे वर्षों से दखल–कब्जा कायम है। चूँकि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है। इसलिए उक्त भूमि का गैर आदिवासी का हस्तांतरण नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46–4 (ए) में सुलहनामा को भूमि हस्तांतरण का माध्यम मानना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। अर्थात छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों, अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा प्रस्तुत भूमि जाँच प्रतिवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष खरीदगी के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते है। परन्तु दावे के समर्थन में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते है। वही दुसरी ओर विपक्षी खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी होने के नाते प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा पेश कर रहे हैं।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कागजातों आदि के अनुशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि के संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा पारित भू–वापसी आदेश विधि–सम्मत् है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन, द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत् रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, पतरातु को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।

23/2/2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

23/2/2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2022.04.06 11:37:16 +05:30
Location: 192.168.0.9